

साखण्ड उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर धौलपुर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ~~का~~ कामिमपुर

आदेश:

प्राची के खाता "दूरदस्ती" प्राचीना पत्र एवं पदवारी कामिमपुर व गू.अ.नि. लगावमी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नामान तहसीलदार धौलपुर की अनुमति के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में माम तहसील व जिला की जमाबन्दी संख्या 2076-79 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज खाते को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अगले दसमद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	माम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
	कामिमपुर	49	रमुजी पुत्र हत्तर जाहि जाटव साकेल खालेदार	रामजी लाल जाहि जाटव सा. देह खालेदार

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर धौलपुर

क्र.सं. :- 1410

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

दिनांक:- 6.8.25

लिपि:-

तहसीलदार धौलपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अगले दसमद शीघ्र किया जाकर प्राचीना रिपोर्ट भिजवाये।
प्राची श्री रामजी लाल पुत्र हत्तर को सूचनाार्थ।
रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर